

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 166/2017

अनवान :

1. मोहनलाल पुत्र जुगलाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा।
2. महेन्द्र पुत्र जुगलाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा।
3. बलवान पुत्र जुगलाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. जुगलाल पुत्र गणपत जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा।
2. बिमला पुत्री जुगलाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा।
3. बरजी पुत्री जुगलाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा।
4. लिलो उर्फ नीलम पुत्री जुगलाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा।
5. जयदेई पुत्री जुगलाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा।
6. एसबीआई छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक छानीबड़ी।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादीगण

निर्णय

दिनांक :

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 सीएचएन के खाता सं० 33/31 के मु०नं० 36 के किला नं० 4, 16, 23 की 0.759 है० नहरी खातेदारी प्रतिवादी जुगलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार रोही मौजा चक 4 जेएसएल के खाता सं० 93/6 के मु०नं० 57 के किला नं० 11, 12, 19 ता 22 की 1.518 है० मु०नं० 59 के किला नं० 1, 2, 10 की 0.759 है० कुल 2.277 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी जुगलाल के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार रोही चक 4 जेएसएल के ही खाता सं० 52/57 के मु०नं० 56 के किला नं० 25 की 0.253 है० मु०नं० 60 के किला नं० 4 ता 7 की 1.012 है० कुल 1.265 है० बारानी खातेदारी प्रतिवादी जुगलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 5 जेएसएल के खाता सं० 318/8 के मु०नं० 118 के किला नं० 6 की 0.253 है० किला नं० 7/2 की 0.202 है० किला नं० 13/2 की 0.114 है० किला नं० 14 ता 17 की 1.012 है० किला नं० 18/2 की 0.228 है० किला नं० 19/2 की 0.038 है० किला नं० 23 की 0.240 है० मु०नं० 123 के किला नं० 1/2 की 0.063 है० किला नं० 2/3 की 0.202 है० किला नं० 10/2 की 0.202 है० मु०नं० 124 के किला नं० 15/2 की 0.114 है० किला नं० 16/2 की 0.228 है० किला नं० 17/2 की 0.025 है० किला नं० 24/2 की 0.152 है० किला नं० 25 की 0.253 है० कुल 3.326 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी जुगलाल के नाम से 0.818 है० खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि पहले वादीगण के दादा गणपत की हुआ करती थी। इस प्रकार वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक व संयुक्त परिवार की खातेदारी है। वादीगण हिन्दू



BW

उतराधिकार अधिनियम की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते हैं। वादभूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की तथा वादीगण की दादालाई होने के कारण उसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार है परन्तु वादभूमि रिकार्ड माल में तन्हा प्रतिवादी जुगलाल के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण दर्ज चली आ रही है जिससे प्रतिवादी जुगलाल को कोई हक अधिकार हासिल नहीं होते हैं।

वादभूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर वादभूमि जो प्रतिवादी जुगलाल के नाम से दर्ज है वह वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई। इसी अनुसार वादीगण की वादभूमि पर कब्जाकाशत चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण के हिस्सा में आई वादभूमि आज भी प्रतिवादी जुगलाल के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 6 व 7 को वकील वादी ने तर्क किया।

बहस वकील वादी सुनी गई दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि की पुरानी जमाबन्दी सम्वत् 2016 की पेश की गई है जिसमें प्रतिवादी जुगलाल के साथ साथ उसके भाईयों के भी नाम सहखातेदार काशतकार के रूप में दर्ज है उससे पूर्व की जमाबन्दी उपलब्ध नहीं हो पाई है। प्रतिवादी स्वयं इन तथ्यों को स्वीकार करते हैं कि उक्त वादभूमि पैतृक है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 6 सीएचएन के खाता सं० 33/31, चक 4 जेएसएल के खाता सं० 93/6 व 52/57, चक 5 जेएसएल के खाता सं० 318/8 में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। चूंकि विवादित आराजी की बाबत पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है एवं वादीगण के दावा का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 5 ने मुताबिक राजीनामा अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण के पक्ष में त्याग दी है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 सीएचएन के खाता सं० 33/31 के मु०नं० 36 के किला नं० 4, 16, 23 की 0.759 है० नहरी खातेदारी प्रतिवादी जुगलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार रोही मौजा चक 4 जेएसएल के खाता सं० 93/6 के मु०नं० 57 के किला नं० 11, 12, 19 ता 22 की 1.518 है० मु०नं० 59 के किला नं० 1, 2, 10 की 0.759 है० कुल 2.277 है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी जुगलाल के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार रोही चक 4 जेएसएल के ही खाता सं० 52/57 के मु०नं० 56 के किला नं० 25 की 0.253 है० मु०नं० 60 के किला नं० 4 ता 7 की 1.012 है० कुल 1.265 है० बरानी खातेदारी प्रतिवादी जुगलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 5 जेएसएल के खाता सं० 318/8 के मु०नं० 118 के किला नं० 6 की 0.253 है० किला नं० 7/2 की 0.202 है० किला नं० 13/2 की 0.114 है० किला नं० 14 ता 17 की 1.012 है० किला नं० 18/2 की 0.228 है० किला नं० 19/2



मोहनलाल आदि बनाम जुगलाल आदि

की 0.038 है0 किला नं0 23 की 0.240 है0 मु0नं0 123 के किला नं0 1/2 की 0.063 है0 किला नं0 2/3 की 0.202 है0 किला नं0 10/2 की 0.202 है0 मु0नं0 124 के किला नं0 15/2 की 0.114 है0 किला नं0 16/2 की 0.228 है0 किला नं0 17/2 की 0.025 है0 किला नं0 24/2 की 0.152 है0 किला नं0 25 की 0.253 है0 कुल 3.326 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी जुगलाल के नाम से 0.818 है0 खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा भूमि कृषि भूमि वादीगण के पक्ष में त्याग दी है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व बैंक रहन फक होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/11/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



R/S
(राजकुमार/कस्वा)

R.A.S.

सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 166/2017

अनवान :

1. मोहनलाल पुत्र जुगलाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा।
2. महेन्द्र पुत्र जुगलाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा।
3. बलवान पुत्र जुगलाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. जुगलाल पुत्र गणपत जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा।
2. बिमला पुत्री जुगलाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा।
3. बरजी पुत्री जुगलाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा।
4. लिलो उर्फ नीलम पुत्री जुगलाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा।
5. जयदेई पुत्री जुगलाल जाति नाई निवासी बेर तहसील भादरा।
6. एसबीआई छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक छानीबड़ी।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 सीएचएन के खाता सं० 33/31 के मु०नं० 36 के किला नं० 4, 16, 23 की 0.759 है० नहरी खातेदारी प्रतिवादी जुगलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार रोही मौजा चक 4 जेएसएल के खाता सं० 93/6 के मु०नं० 57 के किला नं० 11, 12, 19 ता 22 की 1.518 है० मु०नं० 59 के किला नं० 1, 2, 10 की 0.759 है० कुल 2.277 है० बाराणी खातेदारी में प्रतिवादी जुगलाल के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार रोही चक 4 जेएसएल के ही खाता सं० 52/57 के मु०नं० 56 के किला नं० 25 की 0.253 है० मु०नं० 60 के किला नं० 4 ता 7 की 1.012 है० कुल 1.265 है० बाराणी खातेदारी प्रतिवादी जुगलाल के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 5 जेएसएल के खाता सं० 318/8 के मु०नं० 118 के किला नं० 6 की 0.253 है० किला नं० 7/2 की 0.202 है० किला नं० 13/2 की 0.114 है० किला नं० 14 ता 17 की 1.012 है० किला नं० 18/2 की 0.228 है० किला नं० 19/2 की 0.038 है० किला नं० 23 की 0.240 है० मु०नं० 123 के किला नं० 1/2 की 0.063 है० किला नं० 2/3 की 0.202 है० किला नं० 10/2 की 0.202 है० मु०नं० 124 के किला नं० 15/2 की 0.114 है० किला नं० 16/2 की 0.228 है० किला नं० 17/2 की 0.025 है० किला नं० 24/2 की 0.152 है० किला नं० 25 की 0.253 है० कुल 3.326 है० बाराणी खातेदारी में प्रतिवादी जुगलाल के नाम से 0.818 है० खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन कर वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा भूमि कृषि भूमि वादीगण के पक्ष में त्याग दी है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सा भर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व बैंक रहन फक होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/11/17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

